

राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 / कैम्प कोर्ट सलुम्बर

::: आदेश :::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कराबली व भूअनि जोता की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सलुम्बर/नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार झल्लारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कराबली तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में खाता संख्या 176 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.स. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|--------|-------------|--|--|
| 1. | कराबली | 176 | ① भद्रेश चन्डू पुत्र मनीशंकर ② ललित पुत्र मनीशंकर ③ वन्दना पुत्री मनीशंकर ④ हिम्मत नाई पत्नि स्व. मनीशंकर | ① भद्रेश चन्डू पुत्र मनीलाल ② ललित पुत्र मनीलाल ③ वन्दना पुत्री मनीलाल ④ हिम्मत नाई पत्नि मनीलाल |

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- रा.लो.अ./2022 / 894

प्रतिलिपि एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(अध्यक्ष)
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य न्यायिक समिति
दिनांक :- 12.03.22
वरिष्ठ विधिक न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सलुम्बर, जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर जिला उदयपुर